www.health.mp.gov.in

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक–9/नर्सिंग/सेल–/2012/ 5490 भोपाल, दिनांक 11/10/2012

प्रति,

(1) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,मध्यप्रदेश ।
(2) समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश ।
(3) समस्त अधीक्षक, सिविल अस्पताल मध्यप्रदेश ।

विषयः– स्टाफ नर्स को दिनांक 1/01/2006 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन ढाचे में वेतन नियतन।

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनेक जिले में दिनांक 1/01/2006 को अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त स्टाफ नर्सेस के वेतन नियतन में विसंगतियों के कारण कम वेतन प्रापत होने की शिकायत प्राप्त हो रही हैं । कुछ जिलों में दिनांक 1/01/2006 को अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त स्टाफ नर्सेस को वेतनमान 5200–20,200 में प्रारंभिक वेतन 5200 एवं 2400 ग्रेड पे (5200+2400=7600) के आधार पर वेतन नियतन किया जा रहा है।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ–8/2009/नियम/चार दिनांक 20 अगस्त 2009 द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों के प्रकरण में पुनरीक्षित वेतन ढॉचे में 7440/– प्रारंभिक वेतन एवं 2400/– ग्रेड वेतन (7440+2400=9840) के आधार पर वेतन नियतन किया जायें।

साथ ही जिन कर्मचारियों को अभी तक कम वेतन दिया गया है को उक्त अवधि का ऐरियर्स समय सीमा निर्धारित कर भुगतान किया जायें।

संचालक ~~चिकित्सा~~ सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक–9/नर्सिंग/सेल–/2012/ भोपाल, दिनांक / /2012

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.
2. संयुक्त संचालक, एमआईएस, स्थानीय कार्यालय की ओर विभाग की वेबसाईट www.health.mp.gov.in पर प्रकाशित करने हेतु।

संचालक, चिकित्सा सेवायें
मध्य प्रदेश

2- extra folder letter (20-09-12)